334

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दक्षिण–पश्चिम) : दिल्ली

परिपत्र

द्वारका जिला न्यायालय में तैनात समस्त कर्मचारियों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि राजभाषा हिंदी के प्रचार–प्रसार व हिंदी भाषा के प्रति रुचि बनाने व बढ़ाने के उद्देश्य से द्वारका जिला न्यायालय में राजभाषा हिंदी – सामान्य ज्ञान व अनुवाद (लिखित परीक्षा) नामक प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 21.08.2018 को किया जा रहा है।

इच्छुक प्रतियोगी अपने नाम नोडल अधिकारी, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, द्वारका न्यायालय, को दिनांक 20.08.2018 तक उचित माध्यम (पत्र द्वारा) से भेज सकते है।

ध्यान दे : प्रतियोगिता के स्थान, समय, स्वरुप व नियमावली हेतु संलग्न पृष्ठ का अवलोकन व पठन करें।

बृजेश सेठी

(बृजेश सेठी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द.प.)
द्वारका जिला न्यायालय

17862–17952
संख्या/हिन्दी/504–ए/परिपत्र/2018 दिनांक 02.08.2018

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जाती है:–

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय, दिल्ली।
2. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी (द. प.), इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र से सभी सम्बंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को जो भी उनके नियंत्रण में हों, अवगत करवाएं।
3. समस्त प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), शाखा प्रभारी, इस अनुरोध सहित कि इस परिपत्र से, सभी सम्बंधित कर्मचारियों को जो भी उनके नियंत्रण में हों, अवगत करवाएं।
4. सचिवालय, माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश (द.प.)।
5. कंप्यूटर अनुभाग (दक्षिण–पश्चिम जिला), इस निर्देश सहित कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड किया जाये ।
6. गार्ड फाइल।

3/8/18

नोडल अधिकारी, (दक्षिण–पश्चिम जिला)
केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय,दिल्ली

देखा गया : शाखा में सभी कर्मचारियों को नोट कराया जाए और वेबसाइट पर अपलोड किया जाये।

प्रभारी अधिकारी (कंप्यूटर अनुभाग)

राजभाषा हिंदी – सामान्य ज्ञान व अनुवाद (लिखित परीक्षा) प्रतियोगिता का स्वरुप व नियमावली

1 प्रतियोगिता में जिला न्यायालय द्वारका में तैनात सभी वर्ग के कर्मचारी भाग ले सकते है।

2 प्रतियोगिता का स्थान सम्मेलन कक्ष, सातवां तल, द्वारका न्यायालय निर्धारित किया गया है।

3 प्रतियोगिता शुरु होने का समय दोपहर 3:00 बजे होगा तथा प्रतियोगियों को प्रतियोगिता स्थल पर 15 मिनट पहले उपस्थित होना होगा।

4 प्रतियोगिता का समय एक घंटे का होगा।

5 प्रतियोगिता में राजभाषा हिन्दी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएँगे।

6 प्रतियोगिता में अंग्रेजी से हिन्दी व हिन्दी से अंग्रेज़ी अनुवाद भी सम्मिलित होगा।

7 केवल उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन ही स्वीकार्य होंगे।

8 प्रतियोगिता के लिए नकद पुरस्कारों का विवरण निम्नलिखित है

प्रथम पुरस्कार (एक)	**4000/– रुपये**
द्वितीय पुरस्कार (एक)	**3000/– रुपये**
तृतीय पुरस्कार (एक)	**2000/– रुपये**
प्रोत्साहन पुरस्कार (पाँच)	**800/– रुपये**

(उक्त नकद पुरस्कारों की राशि कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार की विविध हिंदी प्रतियोगिताओं में दी जाने वाली नकद पुरस्कार की राशि के समान व अनुरुप है।)

9 प्रतियोगिता के आयोजन से लेकर पुरस्कार वितरण आदि तक की समस्त कार्यवाही नोडल अधिकारी, केंद्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, द्वारका जिला न्यायालय, के नियंत्रण व देखरेख में स्थापित राजभाषा हिंदी अनुभाग द्वारा की जाएगी।

10 यदि एक से अधिक कर्मचारियों/ प्रतियोगियों ने समान अंक प्राप्त करते है तो पुरस्कार की राशि उनमें समान अनुपात में वितरित की जाएगी।

11 प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी बदलाव, विवाद, शिकायत या इसके नियमों के निर्वहन आदि के बारे में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द.प.), द्वारका न्यायालय, का निर्णय ही अंतिम होगा।

नोडल अधिकारी, (दक्षिण–पश्चिम जिला)
केन्द्रीय हिंदी कार्यान्वयन समिति, जिला न्यायालय,दिल्ली